

अवधी- लोकोक्तियाँ



डॉ. रामबहादुर मिश्र

अवधी-लोकोक्तियाँ



डॉ. रामबहादुर मिश्र

समर्पण

प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद

प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित

एवम्

डॉ. त्रिलोकीनाथ सिंह

को

जिन्होंने मेरे अंतर्मन में अवधी और

लोक साहित्य के अध्ययन का बीज बोया।

-डॉ. रामबहादुर मिश्र

"संस्तुति"

यदि साहित्य समाज का दर्पण है तो लोकोक्तियाँ या कहावतें लोक जीवन की। लोक मन की अनुभूतिमयों की भट्टी में तप कर और अनुभवों की निहाई पर कोई आकार पाकर ये लोकोक्तियों के वाक्य या वाक्य समूह ऐसी ज्ञानराशि के सम्पुट होते हैं। जो सदैव मानव मन को छूते हैं। उसे कहावतें सुसंस्कार और कभी-कभी कुसंस्कार भी देती हैं। किंतु वे हमेशा सर्वत्र मानव संस्कृति की दर्पण होती हैं। सम्पूर्ण मानव ज्ञान मानवता मात्र की एक अभिव्यक्ति थाती है। उसमें किसी क्षेत्र या काल का संचित ज्ञान योग देता है।

डॉ. रामबहादुर मिश्र ने मेरे निर्देशन में अवधी के फाग साहित्य पर पी-एच.डी. की उपाधि प्राप्त की थी। वह जिस लगन, सूझ बूझ और परिश्रम से कार्य करते हैं वह सराहनीय है। अवधी की इन लोकोक्तियों का इन्होंने बड़े परिश्रम से संचयन किया है। कहावतों के यथार्थ जीवन में प्रयोग से उनके अर्थ का निर्णय किया है। यह बड़ी और प्रमाणिक बात है। कहावतों का वर्गीकरण उन्होंने मौलिक और उत्तम ढंग से किया है। यह कहावतों का संग्रह निश्चय ही हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेगा।

भारत में साक्षर लोगों का प्रतिशत संख्या अधिक है। नगर-संस्कृति और भाषा ग्रामीण बोलियों को अपदस्थ करती जा रही है। सन् 2000 ई. तक आधा भारत नगरों में होगा इतिहास के इस क्षिप्र संक्रमण काल में हमारा दायित्व है कि अवधी के साहित्य, लोक साहित्य, कहावतों, मुहावरों और ग्रामीण शब्दावली का संकलन कर लें। डॉ. मिश्र ने इस दिशा में निश्चय ही स्तुत्य कार्य किया है और कर रहे हैं। पिछली शताब्दी के अंतिम चरण में अंग्रेजी की बोलियों के क्षेत्र में जोसेफ राइट ने या एड मंड मख ने फ्रेंच की बोलियों के क्षेत्र में जो कार्य किया उसमें उन्होंने अपार जन सहयोग मिला था। सुलतानपुर जिले के राम नरेश त्रिपाठी जी ने बोलियों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था। उन्हीं के क्षेत्र के डॉ. रामबहादुर मिश्र उस परम्परा को पुनर्जीवित कर रहे हैं। मेरी अपील है कि सरकारी, अर्धसरकारी संस्थाएं और जनता के प्रबुद्ध लोग इनके कार्य में सहयोग देकर हमारे इतिहास की धरोहर के रक्षण में भागीदार बनें।

डॉ. त्रिलोकी नाथ सिंह

एम.ए. (हिंदी), एम.ए. (भाषा विज्ञान)

पी-एच.डी., (हिंदी) डी.लिट् (भाषा विज्ञान)

रीडर, हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

"शुभाशंसा"

मैंने डॉ. रामबहादुर मिश्र द्वारा प्रस्तुत 'अवधी लोकोक्तियाँ' नामक ग्रंथ का अवलोकन किया। पुस्तकाकार रूप देने में देखने के पूर्व मैं प्रियवर डॉ. मिश्र की संकलन प्रक्रिया का भी साक्षी रहा हूँ। मैंने अनेक बार यह अनुभव किया कि लोकवार्ता के सर्वेक्षण-अन्वेषण में जो तत्परता होनी चाहिए, वह डॉ. मिश्र में है। वस्तुतः अवधी साहित्य, अवध संस्कृति एवं लोक सम्पदा के संरक्षण-विश्लेषण की दिशा में वे सर्वाशतः समर्पित हैं और इसीलिए साधुवाद के आस्पद हैं।

प्रस्तुत ग्रंथ में अवध क्षेत्र में प्रयुक्त प्रमुख लोकोक्तियों का संकलन और विवेचन किया गया है। मिश्र जी ने विषय वस्तु के अनुसार उनका सुव्यवस्थित वर्गीकरण किया है और कोई छन्नों से छनकर उनका चारु चयन किया है। ये लोकोक्तियाँ किंचित पाठान्तर के साथ अन्यान्य अंचलों तथा विभाषाओं में भी उपलब्ध होती हैं, यों इनकी एक विशिष्ट अर्थवत्ता, व्यंजना तथा अर्भच्छवि सुलतानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़ की अवधी में प्राप्त होती है।

इस प्रकार के संकलन अवधी की वाग्विभूति को सहेजने की दिशा में मार्ग दर्शक प्रयास हैं। मैं इस पुरश्चरण की सफलता की कामना करता हूँ और हृदय से डॉ. मिश्र को बधाई देता हुआ प्रबुद्ध पाठकों से आग्रह करता हूँ कि अपने-अपने क्षेत्रों में बिखरी हुई इस लोक राशि को संवारने में वे यथा शक्ति सहयोग करें। यह लोकार्चन का शुद्ध सारस्वत कर्म सिद्ध होगा। साभिवादः

प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित

पूर्व अध्यक्ष, हिंदी विभाग

लखनऊ विश्वविद्यालय

"पुरोवाक्"

आज से चार वर्ष पूर्व मैं नाव द्वारा गोमती नदी पार करने के उपक्रम में नाव पर चढ़ने जा रहा था कि सिर पर बोझा लादे हुए एक किसान आया और मुझे धकियाते हुए अपना बोझ नाव पर फेंककर स्वयं कूद गया, यह देखकर मल्लाह बोला, जिहके उतराई नहीं होत वह पहिले नाव पर चढ़त है।" यह लोकोक्ति मैंने कई बार विभिन्न प्रसंगों पर सुन रखी थी, किंतु आज वह प्रयोग के धरातल पर चरितार्थ हो रही थी। नदी पार करते-करते मेरे मानस पटल पर कई लोकोक्तियाँ उभरने लगी बस यहीं से संकलन का कार्य प्रारम्भ हुआ। देखते-देखते एक वर्ष में ही लगभग चार हजार लोकोक्तियाँ और मुहावरे संकलित हो गये। इन्हें जब पूज्य गुरुदेव डॉ. त्रिलोकीनाथ सिंह को दिखाया तो उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुझे कुछ निर्देशों के साथ इन्हें प्रकाशित करवाने की सलाह दी। मैंने उनके निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए शीघ्र ही इसे पुस्तक का रूप प्रदान किया। पुस्तक के प्रकाशन में कुछ बाधाएँ आती गयी और वे अंत तक बनी रही। प्रकाशन में काफी त्रुटियाँ रह गयी हैं, जो अगले संस्करण में निश्चित ही दूर होगी।

इस अवसर पर लोक साहित्य का अध्ययन करने की प्रेरणा प्रदान करने वाले मेरे गुरुदेव पूज्यवाद प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित एवं डॉ. त्रिलोकीनाथ सिंह के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना अपना कर्तव्य समझता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे हृदय में लोक साहित्य के अध्ययन का बीज ही नहीं बोया अपितु उचित निर्देशन देकर विविध दिशाओं में मेरा मार्ग भी प्रशस्त किया है। इसके साथ ही किसी दिशा में गहरे पैठने की दृष्टि भी उन्होंने दी है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं के श्री चरणों का प्रताप है।

डॉ. राम बहादुर मिश्र

प्रारम्भिक

लोक साहित्य की प्रमुख विधाओं में से लोकोक्ति एक सशक्त विधा है। सारगर्भित विशद भावों को भाषा के सूक्ष्मतम साधनों द्वारा व्यक्त करने का माध्यम उक्ति होती है, यही उक्ति जब लोक मानस या जन समाज की वाणी द्वारा कही जाती है तो लोकोक्ति हो जाती है। इनके माध्यम से कोई देश या जाति अथवा समुदाय अपने अतीत अनुभव की अक्षय निधि को नष्ट होने से बचाता है तथा इनके द्वारा किसी देश या जाति की शताब्दियों से चली आ रही विचारधाराओं से सुगमता पूर्वक परिचय स्थापित किया जा सकता है।

बहुत कुछ देखने सुनने और अनुभव करने के पश्चात् उन भावों अथवा विचारों को लम्बी कथा का रूप न देकर छोटे वाक्यों के माध्यम से जो कुछ कहा जाता है वह उक्ति होती है और जब यह उक्ति लोक या साधारण जन मानस द्वारा प्रयोग में आकर समस्त लोक के अनुभव की वस्तु बनती है तो लोकोक्ति कहलाती है। ये प्रायः अज्ञातनाम होती है किंतु कवियों आदि की पंक्तियां भी समस्त लोक के अनुभव की वस्तु बन जाती है तथा ज्ञातनामा हो जाती हैं, तुलसी की 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे' इसी प्रकार की लोकोक्ति है। लोकोक्तियों के प्रयोग से किसी उक्ति या कथन में शक्ति आ जाती है तथा कथन में तीव्रता और प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। लोकोक्तियाँ कहावतों का ही रूप है। कुछ विद्वानों ने लोकोक्तियों व कहावतों में भेद किये हैं, किंतु यहां दोनों ही लोकोक्ति के रूप में प्रस्तुत की जा रही है क्योंकि इनमें कोई मूलभूत अंतर नहीं है।

लोकोक्तियों की परिभाषा बहुत से विद्वानों ने की है, उनकी सामान्य विशेषताओं, लक्षणों, वर्गीकरण आदि पर भी विस्तार से लिखा है। किंतु सब में मतैक्य नहीं है। कुछ विद्वानों की महत्वपूर्ण परिभाषायें यहां प्रस्तुत की जा रही हैं।

जनपद कल्याणी योजना के प्रवर्तक डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल के मतानुसार “लोकोक्तियाँ मानवी ज्ञान के चोखे, और चुभते हुए सूत्र हैं, अनंत काल तक धातुओं को तपाकर सूर्यराशि नाना प्रकार के रत्न उपरत्नों का निर्माण करती है जिनका आलोक सदा छिटकता रहता है, उसी प्रकार लोकोक्ति मानवी ज्ञान के घनीभूत रत्न हैं जिन्हें बुद्धि और अनुभव की किरणों से फूटने वाली ज्योति प्राप्त होती है।

इसी तारतम्य में कन्हैयालाल सहल की परिभाषा लोकोक्तियों की विस्तृत व्याख्या करती है - "अपने कथन की पुष्टि में किसी को शिक्षा या चेतावनी देने के उद्देश्य से, किसी बात को किसी की आड़ में कहने के अभिप्राय से अथवा किसी को उपालम्भ देने व किसी पर व्यंग्य कसने आदि के लिए अपने स्वतंत्र अर्थ रखने वाली जिस लोक प्रचलित तथा सामान्यतः सारगर्भित, संक्षिप्त एवं चटपटी उक्ति का लोग प्रयोग करते हैं उसे लोकोक्ति अथवा कहावत का नाम दिया जा सकता है।" तीसरी महत्वपूर्ण परिभाषा एम.एस. दक्षिणामूर्ति की हैं इन्होंने लोकोक्ति को कहावत का रूप दिया है – 'कहावत सामान्यतः संक्षिप्त, सारगर्भित और प्रभावशाली उक्ति है जिसमें जीवन की अनुभूतियां स्पष्टतया झलकती हैं और जो परिस्थिति की अनुकूलता को दृष्टि में रखकर प्रयोग में लायी जाती हैं।' इस संबंध में डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय की परिभाषा भी देखना अत्यावश्यक है - 'लोकोक्तियाँ अनुभव सिद्ध ज्ञान की निधि हैं। मानव ने युग-युग से जिन तथ्यों का साक्षात्कार किया उनका प्रकाशन इनके माध्यम से होता है। ये चिरकालीन अनुभव ज्ञान के सूत्र हैं।' एक अन्य परिभाषा, डॉ. उप्रेती की, भी कम महत्वपूर्ण नहीं है लोकोक्तियाँ लोक मानस की ऐसी संक्षिप्त, विदग्ध, तथा लोक प्रिय उक्तियां हैं जिनमें मानवी ज्ञान तथा अनुभव अपने सहज तथा घनीभूत रूप में विद्यमान रहता है, ये ही लोकजीवन की संप्राणता या जिंदादिली के उदाहरण हैं।

प्रायः सभी लोक साहित्य के विद्वानों ने लोकोक्तियों का स्वरूप व मूलार्थ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। डांसा। सत्येन्द्र, डॉ. सत्या गुप्ता, डॉ. सरोजनी रोहतगी, डॉ. श्याम परमार और डॉ. शंकर लाल यादव आदि प्रमुख हैं। इन सबका सम्यक अध्ययन करने पर हम यह कह सकते हैं कि लोकोक्तियाँ लोक जीवन की नीतियां हैं जिनमें जीवन दर्शन, संस्कृति, परम्परा तथा जीवनोपयोगी विविध विषयों से संबंधित रूप सुरक्षित हैं। यथा प्रकृति, कृषि, स्वास्थ्य, ज्योतिष, शकुनापशकुन, ऐतिहासिक तथा घटनामूलक, व्यंग्यात्मक तथा लोक व्यवहार एवं लोक सिद्धांत से संबंधित विविध लोकोक्तियाँ मिलती हैं। ये उपदेशात्मक तथा ज्ञानप्रद होने के साथ-साथ ऐतिहासिक तथ्यों से युक्त एवं मनोरंजक हैं। हृदय पर सीधे चोट करती हैं, अभिधा, लक्षण तथा व्यंजना के माध्यम से प्रस्तुत हुई है।

उद्भव-विकास

लोकोक्तियों के निर्माताओं को जीवन और जगत का पूर्ण एवं व्यापक ज्ञान था। ये ज्ञान पोथियों का न होकर लोकानुभव से प्राप्त हुआ था। यद्यपि इनके निर्माता साधारण मनुष्य थे किंतु इनकी सार्वभौमिकता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सार्वभौमिक सत्य को उद्धाटित करने का काम ये लोकोक्तियाँ करती हैं, इनका जन्म ही जीवन की वास्तविकताओं को प्रदर्शित करने के लिए हुआ है।

यदि हम इनका सूक्ष्मावलोकन करें तो हमें पता चलता है कि तत्कालीन समाज में क्या-क्या प्रथाएं थीं, क्या-क्या रूढ़ियां थीं, अथवा कौन सी लोक रीतियां थीं। इनके आरम्भ का वही समय माना जा सकता है जो जन जीवन की आरम्भिक अवस्था का समय था। आदिम सभ्य समाज से लेकर आधुनिक सभ्य समाज तक भाषा को अधिक व्यंजन प्रधान बनाने के उद्देश्य से इनका आश्रय लिया जाता है। डॉ. कृष्णदेव शर्मा ने लोकोक्तियों के प्रादुर्भाव के संबंध में तीन प्रमुख आधार माने हैं।

1. लोक कथायें
2. ऐतिहासिक घटनायें
3. प्राज्ञ वचन

विशेषताएं

लोकोक्तियों की विशेषताओं का उल्लेख बहुत से विद्वानों ने किया है। किसी ने उन्हें गुणों के रूप में प्रस्तुत किया तो किसी ने लक्षणों के रूप में विशेषताएं बताई हैं। इस संबंध में सर्वप्रथम डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय द्वारा वर्णित विशेषतायें प्रस्तुत हैं।

1. समास शैली
2. अनुभूति व निरीक्षण
3. सरलता

विशेषतायें विभिन्न विद्वानों द्वारा अपने विषय के आधार पर प्रस्तुत की गयी है। सभी विशेषतायें अपने में पूर्ण हैं। स्थान विशेष या प्रदेश विशेष में भिन्न लोकोक्तियाँ प्रस्तुत होती हैं। विषय का विस्तार करने पर सामग्री का विस्तार हो ही जाता है। यदि देखा जाय तो डॉ. उपाध्याय ने जो तीन विशेषताएं बताई हैं उनमें लोकोक्तियों के प्रायः सभी लक्षण विद्यमान हैं।

वर्गीकरण

लोकोक्तियाँ बहु विषयक हैं, क्योंकि इनके विषय इतने वैविध्य पूर्ण हैं कि इन्हें सीमाबद्ध करना दुष्कर कार्य है अतः इनका पूर्ण तथा वैज्ञानिक वर्गीकरण करना असम्भव है। वैसे भी लोक साहित्य का वर्गीकरण एक जटिल समस्या है, क्योंकि इनकी रचना में व्यापारिक सिद्धांत, काव्यगत सिद्धांत अथवा साहित्यिक नियमों से हटकर रचना होती है। लोक साहित्यकार फक्कड़ व मस्त प्रकृति वाला होता है उसे जो भी लोक प्रचलित शब्द मिल गये उन्हीं में वह रचना करता है।

1. डॉ. महादेव साहा का वर्गीकरण -

2. डॉ. सत्येन्द्र का वर्गीकरण

3. डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय का वर्गीकरण

4. डॉ. श्याम परमार का वर्गीकरण

5. डॉ. कन्हैयालाल 'सहल' का वर्गीकरण

डॉ. कृष्णलाल हंस का वर्गीकरण

उपर्युक्त सभी लोकोक्तियों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, किंतु सभी में कुछ न कुछ कमियां रह गई हैं जो स्वाभाविक ही है। अपने-अपने क्षेत्र या संकलित आंकड़ों के आधार पर ही ये वर्गीकरण किये गये हैं, हर एक वर्गीकरण दूसरे क्षेत्र में पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकता।

अवधी लोकोक्तियों का वर्गीकरण-

प्राप्त आंकड़ों (लोकोक्तियों के आधार पर अवधी की लोकोक्तियों का वर्गीकरण निम्नवत् प्रस्तुत किया जा रहा है।)

1. प्रकृति संबंधी 2. कृषि संबंधी 3. स्वास्थ्य एवं खानपान संबंधी 4. ज्योतिष तथा शकुनाप शकुन संबंधी
5. जातीय लोकोक्तियाँ 6. नीति संबंधी 7. लोक सिद्धांत पर आधारित 8. बहु विषयक 9. लोकरीति से संबंधित
10. लोक विश्वास संबंधी 11. पशुपक्षी से संबंधित 12. लोक व्यवहार से संबंधित 13. व्यांग्यात्मक 14.

तुलनात्मक 15. घटनामूलक/ ऐतिहासिक 16. परिवार तथा गहस्थी से संबंधित 17. सामाजिक लोकोक्तियाँ 18.
स्थान संबंधी 19. निर्धनता व दरिद्रता से संबंधित 20. अन्य (प्रकीर्ण)।

विषय-सूची

प्रकृति-संबंधी लोकोक्तियाँ	13
कृषि-संबंधी लोकोक्तियाँ	29
स्वास्थ्य एवं खानपान-संबंधी लोकोक्तियाँ	56
ज्योतिष तथा शकुनापशकुन-संबंधी लोकोक्तियाँ	69
जातीय लोकोक्तियाँ	92
नीति-संबंधी लोकोक्तियाँ	105
लोक-सिद्धांत पर आधारित लोकोक्तियाँ	127
बहुविषयक लोकोक्तियाँ	154
लोक रीति से संबंधित लोकोक्तियाँ	169
लोक विश्वास पर आधारित लोकोक्तियाँ	191
पशु-पक्षी से संबंधित लोकोक्तियाँ	211
लोक व्यवहार से संबंधित लोकोक्तियाँ	222
व्यंग्यात्मक लोकोक्तियाँ	246
घटना-मूलक/ऐतिहासिक लोकोक्तियाँ	260
तुलनात्मक लोकोक्तियाँ	267
पारिवारिक तथा गृहस्थी से संबंधित लोकोक्तियाँ	292
स्थान-संबंधी लोकोक्तियाँ	311
प्रकीर्ण/अन्य लोकोक्तियाँ	316

प्रकृति-संबंधी लोकोक्तियाँ

प्रकृति मानव की सहचरी है, युगों से उसका संबंध मानव से रहा है। अतः लोकमानस ने सर्वप्रथम प्रकृति का परिचय जानना चाहा। प्रकृति से वर्षों से प्राप्त अनुभवों को उसने विशेष रूप से लोकोक्तियों में संजोकर रखा ताकि आनेवाली पीढ़ी इन अनुभवों का लाभ उठा सके। अवधी लोकोक्तियों में प्रायः वर्षा-संबंधी विषयों की अधिकता है गर्मी तथा ठण्डक पर भी बहुत-कुछ है। वर्षा ऋतु का संबंध कृषि से है लोकमानस ने इसीलिए इसका अधिक महत्त्व समझकर इसे प्राथमिकता दी। प्रकृति-संबंधी लोकोक्तियाँ प्रायः कृषि से ही संबंध रखती हैं फिर भी इनका अपना स्वतंत्रा अस्तित्व है इनका क्रमानुसार अध्ययन निम्नवत् है :

एक मास रितु आगे आये, आधा जेठ अषाढ़ कहावै।

ऋतुओं के परिवर्तन का आभास एक माह पूर्व ही हो जाता है। क्योंकि आधे ज्येष्ठ महीने से ही वर्षा के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जिसे जेठ-अषाढ़ी कहा जाता है। तात्पर्य यह कि वर्षा-ऋतु का प्रारम्भ तो अषाढ़ महीने से होता है। किंतु वर्षा का आभास एक माह पूर्व ग्रीष्म के महीने से ही होने लगता है।

पेड़ बड़े गोहरावै अहिया। घाघ कहैं जल बरसे कहिया।

वर्षा-ऋतु में यदि पेड़ के ऊपर से साँप बोले तो भयंकर वर्षा होने की सूचना है।

रात निबद्धर दिन का घटा। तौ जानो वर्षा ऋतु हटा। (रात चाँदनी दिन घटा। तौ जाना बरखा हटा।।)

दिन में आसमान पर बादल छाये रहें और रात को आसमान बिल्कुल स्वच्छ जो जाये तो वर्षा-ऋतु का समापन समझना चाहिए।

सावन फगुवा चैत मल्हार। गावैं उल्लू सुनैं गँवारा।

फगुवा और मल्हार दोनों ही प्रकृति-संबंधी गीत हैं। फगुवा फाल्गुन के महीने में तथा मल्हार सावन के महीने में गाया जाता है किंतु कोई व्यक्ति सावन में फगुवा गाता है और फाल्गुन में मल्हार तो गानेवाला उल्लू के समान तथा सुननेवाला गँवार होगा।

जेठ मास जो तपै निराशा। तब जानौ वर्षा की आशा।